प्रेस नोट दिनांक 28.01.2025

(ऑपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆ दहेज उत्पीड़न के दोषी 02 अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा 03वर्ष-06 माह का कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

◆मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 02 अभियुक्त को को 03 वर्ष - 06 माह का कारावास व 4000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 माह - 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 31.01.2015 को धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.पिण्टू यादव पुत्र निर्मल यादव निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना सैयदराजा जिला चन्दौली 2.रिंकू यादव पुत्र निर्मल यादव निवासी उपरोक्त के विरुद्ध अपराध संख्या- 20/2015 धारा 498ए,304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना सैयदराजा के पैरोकार का0 राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 28.01.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 02 अभियुक्त 1.पिण्टू यादव पुत्र निर्मल यादव निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना सैयदराजा जिला चन्दौली को 03 वर्ष का कारावास व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
2.रिंकू यादव पुत्र निर्मल यादव निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना सैयदराजा जिला चन्दौली को 06 माह का कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।